फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

घीसुलाल पिता स्व. रूपलाल सालवी निवासी भाणुजा, तहसील बडीसादडी

बनाम

मृत्तक प्रतापी के बजाएः–गोद पुत्र भैरूलाल पिता भागु सालवी निवासी देवरी वगैरा

प्रकरण संख्या 52/2015 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.06.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष बावजूद सूचना अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 2 की तामील अब तक शेष है। प्रकरण वर्ष 2015 से लम्बित होकर विपक्षी संख्या 2 की तामील हेतु लम्बित चल रहा है। अधिवक्ता निगराकार ने दिनांक 24.05.2018 के पश्चात् से आदिनांक तक लगभग 06 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी विपक्षी संख्या 2 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है जबकि इस हेतु अधिवक्ता निगराकार को कई बार निर्देशित किया जा चुका है तथा नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु न्यायहित में दिनांक 31.08.2022 को अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है उसके पश्चात् दिनांक 29.09.2022 को अतिरिक्त अवसर, दिनांक 19.01.2023 को द्वितीय अतिरिक्त अवसर भी दिया गया उसके बावजूद भी अधिवक्ता निगराकार ने विपक्षी संख्या 2 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किये हैं तथा आज बावजूद सूचना के उपस्थित भी नहीं है अर्थात् अधिवक्ता निगराकार अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब नोटिस के अभाव में प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	